

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 1845 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 19-12-2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद अमरोहा में हरितनापुर वन्यजीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारिषण खण्ड हापुड में 0.00 हे० संरक्षित वनभूमि एवं अमरोहा द्वारा 220 के०वी० विद्युत पारिषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों तथा गैर वनभूमि पर स्थित 12 वृक्ष अर्थात् कुल 18 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/TRANS./148929/2021

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ की पत्र संख्या-811/UP/04 /296/2022/VC/705 dated - 25-11-2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, अमरोहा ने अपने पत्र संख्या-1993/14-1 दिनांक 12.12.2022 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, अमरोहा से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या संस्तुति सहित 01 प्रति में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

Obs. no.	Observation	Reply
1	As per the SOI toposheet the demarcation of the forest areas in the kml File is undervalued, The canal side (Ganga Canal) protected Forest area is demarcated as non forest land, which needs clarification / rectification.	उक्त आपत्ति पर आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड वन प्रभाग द्वारा दी जानी है।
2	The proposed CA land polygon falls under the Hastinapur Wild Life Sanctuary, so comments of Chief wild Life warden need to be submitted.	हरितनापुर वन्य जीव विहार की कार्ययोजना वर्ष 2031-2032 तक स्वीकृत है। CA scheme Management plan के अनुसार प्रस्तावित की गयी है।
3	Since the forest area proposed for diversion falls within Hastinapur wild life Sanctuary, So clearance from Standing Committee National Board of wild life is required.	वन्यजीव क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

संलग्नक-यथोपरि।

संख्या 1845 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 12.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,  
16/12/22  
(रमेश चन्द्र)  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

16/12/22  
(रमेश चन्द्र)  
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।  
पत्रांक 1993 / 14-1, दिनांक, अमरोहा, दिसम्बर, 12 2022,

शेखा में,

विषय :- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।  
जनपद अमरोहा, हरिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या-8वी/यू0पी0/04/296/2022/एफ0सी0/705 दिनांक 25.11.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1817/11-सी दिनांक 28.11.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, हरिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। जिस पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 257/11-सी FP/UP/TRANS/148929/2021 दिनांक 21.07.2022 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी थी।

जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्रसं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	As per the SOI toposheet the demarcation of the forest areas in the km. File is undervalued The canal side (Ganga Canal) protected Forest area is demarcated as non forest land, which needs clarification/rectification	उक्त आपत्ति पर आख्या प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग द्वारा दी जानी है।
2	The proposed CA land polygon falls under the Hastinapur Wild Life Sanctuary, so comments of Chief wild Life warden need to be submitted.	हरिनापुर वन्य जीव विहार की कार्ययोजना वर्ष 2031-2032 तक स्वीकृत है। CA Scheme is in accordance with Management Plan के अनुसार प्रस्तावित किया गया है।
3	Since the forest area proposed for diversion falls within Hastinapur Wild Life Sanctuary, so clearance from Standing Committee National Bord of wild Life is required.	वन्यजीव क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की

कृपा करें।

D.M.  
शे. मा. का. करे।  
फा. सं.  
14/12/22

भगदीप

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
अमरोहा।

पत्रांक उक्त दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग, हापुड की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड-अमरोहा उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 03.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
अमरोहा।